

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (का०पदा०)-03/2019 ⁴⁷⁸⁴ /न०वि०एवंआ०वि०। विभागीय अधिसूचना सं०-4174 दिनांक-07.08.19 द्वारा श्री रवि शंकर प्रसाद (बि०न०से०), नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, महुआ को उनके अनुरोध के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधीन बिहार प्रशासनिक सेवा के अन्तर्गत परीक्ष्यमान वरीय उप समाहर्ता के पद पर योगदान करने हेतु नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, महुआ के पद से प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित किया गया था।

2. श्री प्रसाद द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग में ही अपनी सेवा बने रहने देने तथा विभागीय अधिसूचना सं०-4174 दिनांक-07.08.19 को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।


3. श्री प्रसाद के अनुरोध के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त अधिसूचना सं०-4174 दिनांक-07.08.19 को निरस्त किया जाता है। श्री प्रसाद इस विभाग के अधीन यथावत कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर बने रहेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-
(राम सेवक प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (का०पदा०)-03/2019 ⁴⁷⁸⁴ /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-09/09/19
प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/अपर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, वैशाली/श्री रवि शंकर प्रसाद (बि०न०से०), नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, महुआ/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।